



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052022-235883
CG-DL-E-19052022-235883

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2201]
No. 2201]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 19, 2022/वैशाख 29, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 19, 2022/VAISAKHA 29, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2022

सं. 08/2015-2020

विषय : बाँस चारकोल की निर्यात नीति में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 2321(अ).—विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 की अनुसूची-2 को संशोधित करती है।

क्र.सं.	आईटीसी एचएस कोड	इकाई	विवरण	निर्यात नीति	नीतिगत शर्त
90ख	14011000	कि.ग्रा.	कानूनी स्रोत से प्राप्त बाँस से निर्मित बाँस चारकोल,	मुक्त	1. कानूनी स्रोतों से प्राप्त बाँस से निर्मित सभी बाँस चारकोल समुचित प्रलेखन/उद्गम प्रमाण पत्र (सीओओ) जिसमें यह लिखा गया हो कि चारकोल के निर्माण में प्रयुक्त बाँस कानूनी स्रोतों से प्राप्त किया गया है, के अधीन निर्यात हेतु अनुमत है। 2. उद्गम प्रमाण पत्र उस संबंधित राज्य वन विभाग के रेंज वन अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा जहाँ क्रेता द्वारा बाँस चारकोल के निर्माण के लिए बाँस अधिप्राप्त किया गया है।

2. **इस अधिसूचना का प्रभाव:** कानूनी स्रोतों से प्राप्त बाँस से निर्मित बाँस चारकोल का निर्यात उपर्युक्त नीतिगत शर्तों के अधीन मुक्त रूप से अनुमत है।

[फा. सं. 01/91/180/31/एम-20/ईसी/ई-25630]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2022

No. 08/2015-2020

Subject: Amendment in Export Policy of Bamboo Charcoal - regarding.

S.O. 2321(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby **amends the Schedule – 2 of ITC (HS) Export Policy, 2018.**

S.No.	ITC HS Codes	Unit	Description	Export Policy	Policy Condition
90B	14011000	Kg.	Bamboo Charcoal made from Bamboo obtained from legal source	Free	1. All the Bamboo Charcoal made from Bamboo obtained from legal sources are permitted for export subject to proper Documentation / Certificate of Origin (COO) proving that the bamboo used for making charcoal has been obtained from legal sources. 2. The COO shall be issued by the concerned Range Forest Officer of State Forest Department from where bamboo has been procured by the purchaser for making Bamboo Charcoal.

2. Effect of this Notification:

The export of Bamboo Charcoal made from Bamboo obtained from legal source is allowed Freely subject to above policy conditions.

[F. No. 01/91/180/31/AM-20/EC/E-25630]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.